सं0सं0–11 / न0वि0 / आ0प्र0–03 / 2017 546 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 30/04/19

विषयः– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका का प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
28.4.19
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

145

Guidelines for Prevention and Mitigation of Fire Disasters

(U/s 18(2)(d) of Disaster Management Act, 2005)

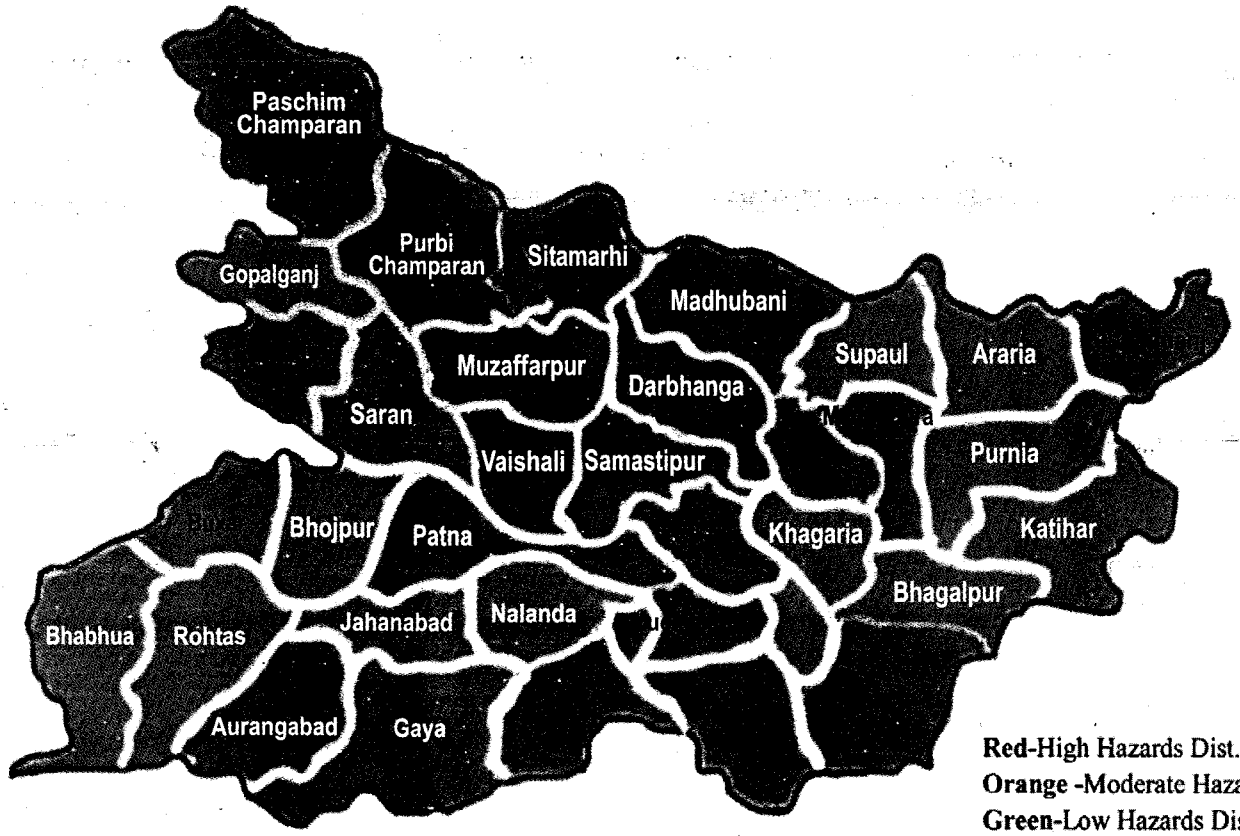

Red-High Hazards Dist.
Orange -Moderate Hazards Dist.
Green-Low Hazards Dist.

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका (Guideline)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001
दूरभाष सं0–0612–2522032
वेबसाईट– www.bsdma.org,
ई–मेल– info@bsdma.org

अगलगी

राज्य में भीषण गर्मी पड़ती है। पछुआ हवा भी चलता है। ऐसे में गांवों में अगलगी की घटनाएं होती है। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल की क्षति होती रहती है। हम सब अगलगी को मिलकर रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें।

क्या न करें

अतएव अगलगी से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है :-

- अगलगी से बचाव हेतु उपाय :-
- दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगावें।
- हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
- भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें।
- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी के बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- शार्ट सर्किट को आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये गए कनात अथवा टेण्ट के नीचे से बिजली के तारों को न ले जायें।
- बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहां कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये उर्जा विभाग/संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दिया जाए।

- जलती हुई माचित की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर न फेंके।
- जहां पर सामुहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनायें।

पटना

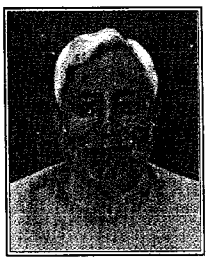

मुख्यमंत्री, बिहार

संदेश

राज्य में मार्च से जून माह तक भीषण गर्मी पड़ती है। इन दिनों पछुआ हवा चलने के कारण गर्मी की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। फलतः राज्य में अगलगी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। अगलगी के कारण न केवल घरों, खेतों, खलिहानों तथा खड़ी फसलों को नुकसान होता है अपितु बहुमूल्य मानव तथा पशु जिन्दगियाँ भी अग्नि की भेंट चढ़ जाती हैं। वर्ष 2016 में अगलगी के कारण 150 से भी अधिक लोगों की मृत्यु राज्य में हुई थी तथा पशुओं, घरों एवं फसलों को काफी नुकसान पहुँचा था। वर्ष 2017 में अगलगी के कारण 37 लोगों की मृत्यु हुई एवं 4757 घटनाएँ प्रतिवेदित हुई। बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक भवनों, अस्पतालों एवं सरकारी भवनों में अगलगी की घटनाएँ प्रायः अग्नि सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था एवं मानवीय लापरवाही के कारण घटित होती हैं। अगलगी होने पर त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मानक संचालन प्रक्रिया' का गठन किया है। इसके फलस्वरूप अगलगी की घटना होने पर राहत एवं बचाव कार्य तुरत प्रारंभ कर दिये जाते हैं तथा प्रभावितों को तत्काल समुचित राहत मुहैया कराई जाती है।

अगलगी होने पर पीड़ितों को त्वरित राहत पहुँचाना आवश्यक होता है, पर मात्र राहत केन्द्रित होना ही आपदा प्रबंधन नहीं कहलाता। अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि अगलगी की पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो सके, तो भी उसके प्रतिकूल प्रभावों को अवश्य ही कम किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं सरकार, सभी स्तरों पर हम सावधानी बरतें तथा समुदाय से लेकर सरकार के विभिन्न विभाग अग्नि आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ–साथ मानव निर्मित आपदा भी है जिसे घटित होने से रोका जा सकता है। अतएव हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अग्नि आपदा की रोकथाम एवं इसके विपरीत प्रभावों को कम करने की दिशा में कारगर पहल करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा, सरकार के संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का सूत्रण किया है। मुझे आशा है कि हम सभी मिलकर इसके अनुसरण में राज्य में अगलगी जैसी घटनाओं को रोकने तथा उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दिशा में प्रयासरत होंगे ताकि हम सुरक्षित बिहार का निर्माण करने में सफल हो सकें।

(नीतीश कुमार)
मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण

भूमिका

बिहार राज्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रति प्रवण है। इन आपदाओं में अगलगी से होने वाली दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली जान–माल की क्षति का प्रमुख स्थान है, जो एक चिन्ता का विषय है। अगलगी की घटनाएँ वर्ष के निश्चित समयन्तराल में अधिक होती है, लेकिन मानवीय लापरवाही के कारण ये कभी भी घटित हो सकती हैं। कतिपय सावधानियों से अगलगी की घटनाओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगलगी की रोकथाम एवं शमन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

अगलगी से हमारे घरों, खेत–खलिहानों एवं जान–माल की व्यापक क्षति होती है। इन अगलगी की घटनाओं से कृषि, जीविका तथा पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होते हैं। राज्य के सभी 38 जिले अगलगी प्रवण हैं, परन्तु बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के 12 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है, जहाँ अगलगी की ज्यादा घटनाएँ गत वर्षों में घटित हुई है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम एवं शमन संबंधी मार्गदर्शिका का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं अगलगी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए बहुहितधारक सहभागिता (Multi Stakeholders' Participation) द्वारा मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है।

आशा है कि प्राधिकरण द्वारा अगलगी से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में तैयार मार्गदर्शिका से इस आपदा से जुड़े हितधारकों एवं समुदाय को अग्नि सुरक्षा में मदद मिलेगी और मार्गदर्शिका में बताए गये उपायों पर अमल करके अगलगी की दुर्घटनाओं में बहुत कमी लायी जा सकेगी।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001

का०: 0612-2522032
फैक्स: 0612-2532311
इ-मेल: vice_chairman@bsdma.org

व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष

भूमिका

बिहार में मार्च से जून के महीनों में भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के इन महीनों में जब पछुआ हवा (Westerly wind)चलती है तो अगलगी की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अगलगी से हमारे घरों, खेत-खलिहानों एवं जान-माल की व्यापक क्षति होती है। शहरों में प्रायः शार्ट सर्किट के कारण अगलगी की घटनाएं होती हैं। पिछले कई वर्षों से अगलगी की घटनाएं शहरों के बजाए, गाँवों में ज्यादा हो रही है। बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के बारह जिलों, यथा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा, बेगूसराय, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, पू0 चंपारण, प0 चंपारण तथा मधुबनी को अगलगी के दृष्टि से Hot spot जिले घोषित किया है। परन्तु राज्य के सभी अगलगी प्रवण (Fire prone) जिलों की कोटि में आते हैं। अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ-साथ मानव निर्मित आपदा भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान विगत शताब्दी में 1^0C बढ़ने की सूचना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)ने वर्ष 2016 को शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष माना था। स्पष्टतः जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप आने वाले वर्षों में भी मार्च-जून माह (मानसून के आगमन पूर्व तक) में भीषण गर्मी की संभावना बनी रहेगी तथा गर्मी एवं पछुवा हवा मिलकर राज्य में अगलगी की आपदा उत्पन्न करते रहेंगे। राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी हो, अगलगी को रोकने/न्यूनीकरण एवं निपटने में हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित हो तथा अगलगी होने पर हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित हो, इस दृष्टि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा एवं अन्य संबंधित विभागों तथा हितधारकों के सहयोग से सहभागी प्रक्रिया (participetive process) के माध्यम से गहन विचार-विमर्श कर इस मार्गदर्शिका का सूत्रण किया है। यह मार्गदर्शिका अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण में काफी सहायक होगी, ऐसी आशा है।

(व्यास जी)
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001

डॉ० उदयकान्त मिश्र, भा०ई०से० (से०नि०)
FIE, FICI, MISWF, MISET, MISCMS, MICAS
सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दूरभाष :- 0612-2522032
फैक्स :- 0612-2532311
ई-मेल:- mkuday@bsdma.org

बिहार सरकार

भूमिका

माननीय अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सह–माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतिश कुमार जी बिहार में आनेवाली सभी प्रकार की आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के प्रति प्रत्यनशील रहते आए हैं। उनकी ही संवेदनशील सजगता की परिणिति इस "अगलगी आपदा ही रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु कार्ययोजना" में हुई है।

यह अनुभवजनित तथा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित तथ्य है कि पिछली सदी से इस सदी के सामान्य तापक्रम में प्रायः 1°C की वृद्धि हो गई है। इसी वर्ष (2018) "द न्यूयार्क टाईम्स" अखबार में छपी खबर के शीर्षक का आश्रय था कि शीघ्र ही भारत वर्ष की गर्मी असहनीय हो जाएगी। गर्मी बढ़ने, लू चलने और दिन के अधिकतम एवं न्यूनतम तापक्रमों के अंतर के सिकुड़ते जाने से गर्मी के मौसम में अगलगी की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। पृथ्वी, वायु और आकाश की तपन अधिक बढ़ जाने से छोटी सी चिनगारी भी विकराल रूप धारण कर लेती है। यह भी सत्य है कि बिहार में एकाध अपवादों को छोड़ कर अगलगी की घटनाएं मानव जनित ही होती हैं तथा संसाधनों और तैयारियों के अभाव के कारण उनके कुप्रभाव कई गुणा बढ़ जाते हैं। शहरी अगलगी जहां अन्धाधुन्ध विकास की होड़ में विद्युत उपकरणों पर दबाव के अतिरेक, बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों की अवहेलना तथा समुचित जानकारी के अभावों के कारण होती है, शहरों से इतर आगजनी का मुख्य कारण सामान्य सुरक्षा नियमों की अवहेलना मात्र है। अब तक देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी अगलगी से निबटने की तैयारियों पर अधिक वक्त दिया जाता रहा था पर अगलगी के कारणों को रोकने के प्रति संवेदनशीलता कम थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सद्प्रयासों से बिहार राज्य अब Fire Fighting की ही नहीं, Fire Engineering की दिशा में भी काफी प्रगति कर रहा है। जिससे अगलगी की घटनाओं में कमी आई है। पटना शहर के नौ अस्पतालों में गत वर्ष इस प्रयास के कारण अगलगी की कोई बड़ी घटना नहीं घटी और जहां छोटी–मोटी अगलगी हुई भी, वहां तत्क्षण काबू पा लिया गया। आनेवाले समय में राज्य के सभी अस्पतालों में फायर इन्जीनियरिंग की सहायता से अगलगी पर काफी नियंत्रण कर पाने का हमें पूर्ण विश्वास है।

हमें समझना होगा कि जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सेवाओं जैसी अग्निशाम सेवा भी है। हमारा कर्तव्य है कि अग्निशाम सेवा को समुचित सम्मान दें, उसका संपोषण करें। यह कार्य योजना सभी हितभागियों के सहयोग से बनाई गई है पर इसको वर्त्तमान स्वरूप देने में होमगार्डस तथा अग्निशाम के तात्कालीन डीजी, श्री पारस नाथ राय एवं प्राधिकरण के वरीय सलाहकार डा0 शंकर दयाल के उत्कृष्ट सहयोग का उल्लेख करना समुचीत होगा। वे सब बधाई के पात्र हैं।

(डॉ० उदयकांत मिश्र)
सदस्य
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001

दूरभाष : 0612-2522254 बिहार सरकार
फैक्स : 0612-2532311
ई–मेल : paras147@bsdma.org

पी0एन0राय,, भा.पु.से.(से0नि0)
सदस्य

भूमिका

राज्य में अगलगी की घटनाएं प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा है। वैसे तो अगलगी की घटनाएं कभी भी हो जाती है परंतु मॉनसून पूर्व पछुआ हवा के प्रकोप से राज्य प्रति वर्ष किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इन अगलगी की घटनाओं से जान–माल की क्षति के साथ–साथ कृषि, जीविका तथा पर्यावरण प्रभावित होते हैं।

अगलगी की घटनाएं शहरों एवं गांवों में समान रूप से नहीं होते हैं। शहरों में अगलगी मुख्यतः शार्ट सर्किट के कारण होता है जबकि गांवों में अगलगी की घटनाएं पछुआ हवा के प्रकोप से बढ़ते तापमान से होता है, जिसमें लोगों के द्वारा सावधानियों पर ध्यान न रखना शामिल है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगलगी की घटनाओं से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का गठन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अगलगी होने पर रिस्पांस काफी ढंग से किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2)d के आलोक में मार्गदर्शिका का होना आवश्यक है, जिससे अगलगी के जोखिम की पहचान हो सके, अगलगी की रोकथाम की जा सके, इसके कुप्रभावों को कम किया जा सके, हितधारकों का क्षमतावर्धन हो सके, अगलगी से निपटने की मुकम्मिल तैयारी की जा सके एवं अगलगी होने पर जान–माल की क्षति को कम किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शिका का सुत्रण अच्छा प्रयास एवं पहलू है, जिस पर अमल कर राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी आएगी ।

(पी0 एन0 राय), भा0पु0से0 (से0नि0)
सदस्य,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अग्नि आपदा की रोकथाम एवं शमन संबंधी मार्गदर्शिका

(Guidelines for Prevention and Mitigation of Fire Disasters)

पृष्ठभूमि

बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है। राज्य में घटित होने वाली बाढ़, सुखाड़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अगलगी ऐसी गंभीर आपदा है जिसके घटित होने पर न केवल सम्पत्ति नष्ट होती है, अपितु बहुमूल्य जानें भी जा रही हैं। राज्य में शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। परन्तु राज्य में शहरीकरण की तीव्र गति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि शहरों में बनने वाली बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक भवनों एवं सरकारी कार्यालयों आदि में निर्माण के समय से ही अग्नि सुरक्षा के उपायों पर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएँ प्रमुखतः मार्च से मई महिनों के बीच होती हैं जब तापमान अधिक हो जाता है और पछुआ हवा बहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी का प्रकोप मुख्यतः कच्चे घरों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों एवं खेत–खलिहानों पर पड़ रहा है। जल स्त्रोतों यथा – पोखर, पईन आदि के अतिक्रमण अथवा सूखने के कारण आग से जान–माल की क्षति में वृद्धि हो रही है क्योंकि आग लगने पर उसे बुझाने हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। अगलगी की घटनाओं से कृषि, जीविका एवं पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाल के वर्षों में 2016 बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा जब पिछले कई वर्षों की तुलना में अगलगी की अधिकतम घटनाएँ हुई जिसमें 150 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2017 में अगलगी से 37 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि राज्य के सभी 38 जिले अगलगी–प्रवण हैं, परन्तु बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के चिन्हित जिलों (चित्र– 1) को अगलगी की दृष्टि से संवेदनशील जिले घोषित किये गये हैं जहां अगलगी की ज्यादा घटनाएँ गत वर्षों में घटित हुई हैं।

बिहार में अगलगी प्रवण जिले

Red-High Hazards Dist.
Orange -Moderate Hazards Dist.
Green-Low Hazards Dist.

चित्र – 1

स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

वर्ष 2011–2017 के बीच अगलगी पर रोकथाम एवं बचाव के आंकड़े निम्नवत हैं –

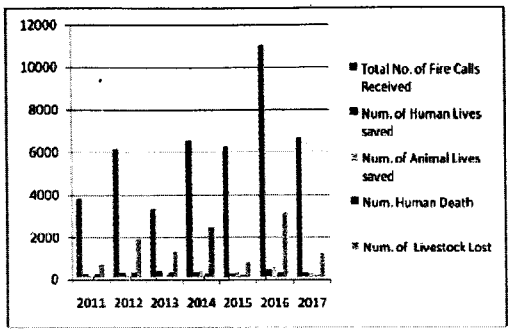

चित्र – 2 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

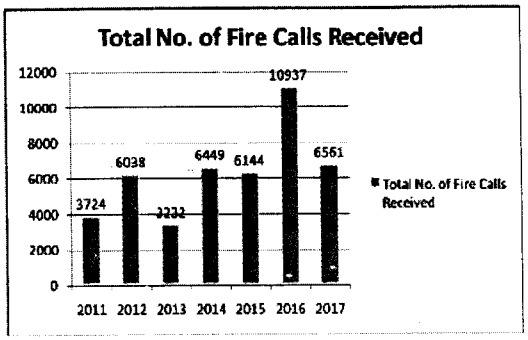

चित्र – 3 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

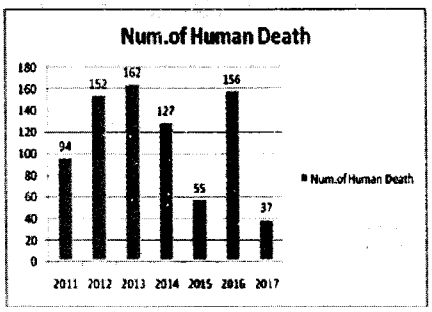

चित्र – 4 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

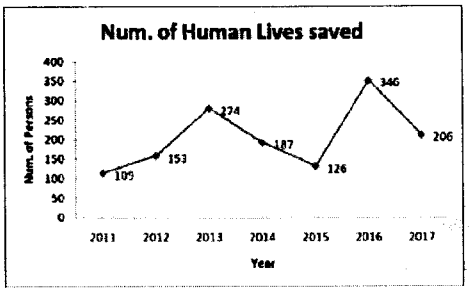

चित्र – 5 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

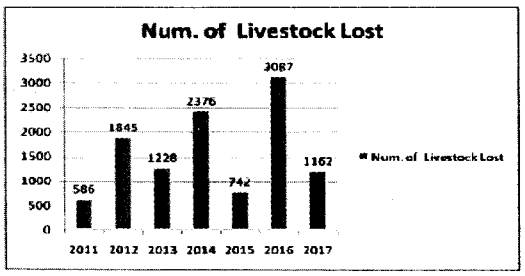

चित्र – 6 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

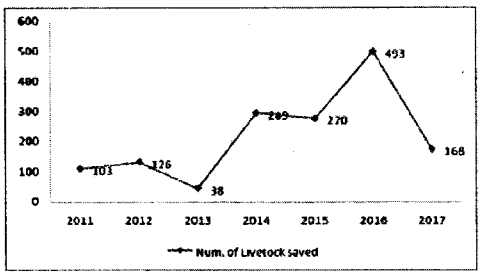

चित्र – 7 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

वर्ष 2011 से 2017 (चित्र–2, 3, 4, 5, 6 तथा 7) तक अगलगी घटनाओं की संख्या एवं उन घटनाओं में मृतक एवं पशुधन की क्षति का उल्लेख किया गया है। इन वर्षों में 2016 का वर्ष अगलगी की दृष्टि से सबसे खराब रहा है क्योंकि इस वर्ष अधिकतम घटनाएँ घटी हैं और उसी के अनुसार क्षति भी हुई है। वर्ष 2017 में घटनाएँ कम घटी और क्षति भी कम हुई । 2016 में 156 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि 2017 में मात्र 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

वर्ष 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं का विश्लेषण चित्र– 8 में किया गया है। सबसे अधिक घटनाएँ कच्चे घरों एवं झोपड़ियों आदि में हो रही हैं। इन स्थानों पर आग लगने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। खलिहानों में रखी फसलों एवं खेतों में खड़ी फसलों की भारी क्षति अगलगी की घटनाओं में हो रही है। खलिहानों में अगलगी की कुल घटनाओं का लगभग 28 प्रतिशत घटनाएँ वर्ष 2017 में हुई थीं।

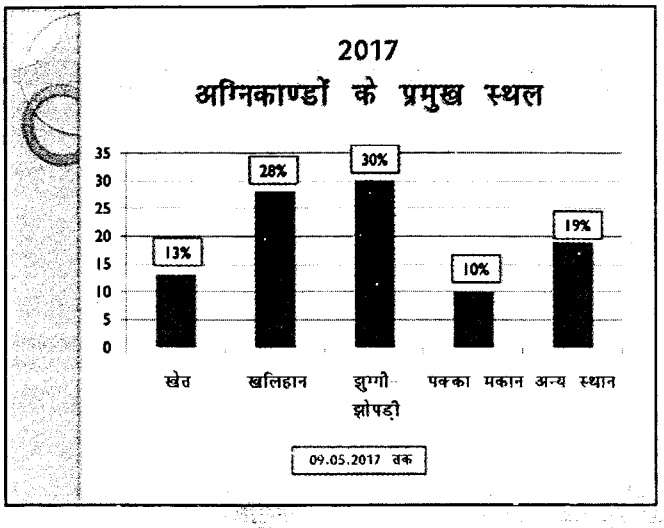

चित्र –8 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

केन्द्र सरकार ने अगलगी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है जिसके अंतर्गत प्रभावितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदण्ड के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमान्य है। परंतु अगलगी मानव जनित आपदा भी है। थोड़ी सी लापरवाही से अगलगी की बड़ी घटना हो सकती है।

2. राज्य सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु कृत कार्रवाइयाँ :–

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम के लिए वृहद कार्य योजना अग्निशाम सेवा के द्वारा बनाकर सभी जिलों को प्रेषित की गई है। उसमें झोपड़ियों, खलिहानों, खड़ी फसलों एवं जानवरों की सुरक्षा के संबंध में किये जाने वाले प्रबंधों का उल्लेख है।

2.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगलगी से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ताकि अगलगी होने पर प्रभावी ढंग से रिस्पांस हो सके।

2.3 शहरी क्षेत्रों के भवनों की सुरक्षा के लिए भी अलग से कार्य योजना बनी है।

2.4 अस्पतालों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बड़े अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा कार्ययोजना बनायी गयी है।

2.5 राज्य सरकार द्वारा अग्निशाम सेवा के आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गई है।

3. उद्देश्य एवं आशय :

राज्य में अगलगी की व्यापक घटनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2)(d) के आलोक में मार्गदर्शिका का सूत्रण किया गया है, ताकि अगलगी के जोखिम की पहचान एवं आकलन हो सके, अगलगी की रोकथाम की जा सके, इसके कुप्रभावों को कम किया जा सके, हितधारकों का क्षमतावर्द्धन हो सके, अगलगी से निपटने की मुकम्मिल तैयारी की जा सके एवं अगलगी होने पर जान–माल की क्षति को कम किया जा सके। इस मार्गदर्शिका में विभिन्न हितधारकों की विशिष्ट भूमिका को दर्शाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी करने हेतु सभी हितधारकों की एक निश्चित भूमिका हो, उनका क्षमतावर्द्धन किया जा सके तथा उनके कामों के बीच समन्वय स्थापित हो।

4. अगलगी के प्रमुख कारण :

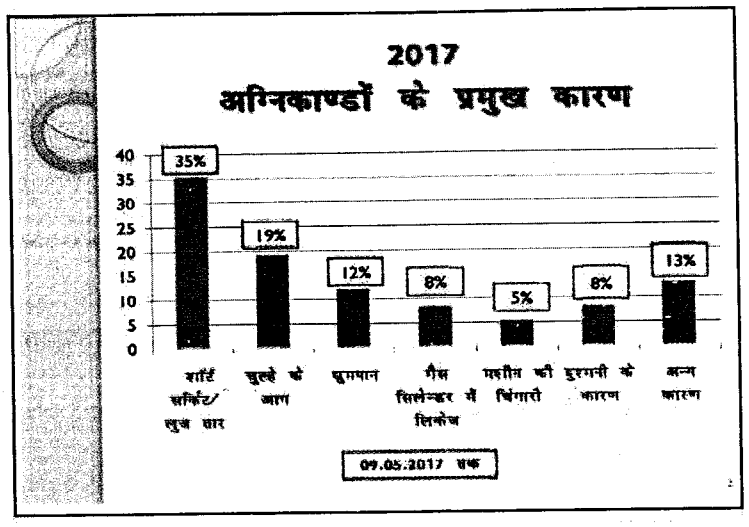

चित्र – 9

स्त्रोत –बिहार अग्निशमन सेवा

राज्य में अगलगी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं (चित्र–9) :

- ✓ बिजली का शॉर्ट सर्किट होना।
- ✓ चूल्हे की आग को नहीं बुझाना।
- ✓ बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यत्र–तत्र फेंक देना।
- ✓ जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है, वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/लीक होना।
- ✓ बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी।
- ✓ बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- ✓ घरों में ढिबरी के इस्तेमाल में लापरवाही।
- ✓ मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना।
- ✓ फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- ✓ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।
- ✓ पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।
- ✓ भवनों (निजी, व्यावसायिक, सरकारी) में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।

5. प्रमुख हितधारक :

अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण प्रयासों के प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं जिनके सहयोग से अगलगी जैसी घटना की रोकथाम/न्यूनीकरण किया जा सकता है :–

(i) बिहार अग्निशमन सेवा
(ii) आपदा प्रबंधन विभाग
(iii) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(iv) पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
(v) उर्जा विभाग
(vi) शिक्षा विभाग

(vii) स्वास्थ्य विभाग
(viii) कृषि विभाग
(ix) पशुपालन विभाग
(x) जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(xi) स्वयंसेवी संस्थाएं/नागरिक समाज

6. अगलगी रोकने के प्रयासों में कमियाँ:

अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण न हो पाने की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं :–

- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु संबंधित हितधारकों की सहभागिता पूर्ण कार्य योजना का न होना।
- ✓ अगलगी की घटनाओं की रोकथाम हेतु विभिन्न हितधारकों की क्षमता में कमी।
- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण की जगह केवल रिस्पांस पर बल देना।
- ✓ अगलगी के आकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण में कमी।
- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण में समुदाय की भागीदारी में कमी।
- ✓ अनुक्रिया की तैयारी में कमी।

7. हितधारकों की भूमिका : विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ निम्नानुसार हो सकती हैं :–

7.1 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जन–जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।
- ✓ अगलगी की घटनाओं का अध्ययन, प्रलेखन एवं विश्लेषण।
- ✓ पंचायतों/नगर निकायों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों का अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु क्षमतावर्द्धन।
- ✓ अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण के उपायों को लागू करने में सरकार के विभिन्न विभागों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं अन्य हितधारकों को अवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- ✓ अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना।

7.2 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

- ✓ विभिन्न माध्यमों से अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस आदि के संबंध में जन–जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।
- ✓ अगलगी की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव सुनिश्चित कराना।
- ✓ जिला प्रशासनों को मार्गदर्शन एवं सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस के कार्यों का समन्वयन।

7.3 बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार (गृह विभाग)

- ✓ अगलगी के संबंध में जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिलों का आयोजन।
- ✓ अग्नि संबंधी नियमों/अधिनियमों का प्रवर्तन।
- ✓ अस्पतालों, सरकारी एवं निजी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का fire audit करना एवं अग्नि सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करवाना।
- ✓ सभी सरकारी भवनों में fire detection/alarm/fighting की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
- ✓ Hot spots की पहचान कर गर्मी के मौसम में fire tenders की pre-positioning।
- ✓ अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशामक किट की व्यवस्था।
- ✓ अगलगी के घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route chart तैयार करना।
- ✓ Fire zone area के समीप water tanks/पम्प सेट एवं अन्य जल–श्रोतों की मैपिंग।
- ✓ Hot-Spot Areas में उपलब्ध जलस्त्रोत का ब्योरा इक्ट्ठा कर उसका उपयोग करना।
- ✓ अग्निशमन दलों का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण।
- ✓ अगलगी की घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रिस्पांस/फायर ऑफिसरों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ✓ बिहार अग्निशमन सेवा का सुदृढ़ीकरण।
- ✓ विभागीय कार्य योजना का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

7.4 पंचायतें एवं स्थानीय नगर निकाय

- ✓ पंचायत एवं नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध पानी के स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार अगलगी में उनका उपयोग एवं आग बुझाने पहुँची दमकल की गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराना।
- ✓ अपने क्षेत्राधिकार में अगलगी के जोखिम की पहचान और चिन्हित करना।
- ✓ अगलगी पर समुदाय का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण।
- ✓ ग्राम सभा एवं वार्ड स्तर की बैठकों में पूर्व में अगलगी की घटनाओं के आधार पर उनके कारणों का सामाजिक अंकेक्षण करना।
- ✓ सामाजिक अंकेक्षण से उभरे अगलगी के कारणों को दृष्टिगत रख अगलग की रोकथाम के उपाय करने हेतु नागरिक समाज को अनुप्रेरित करना।
- ✓ स्थानीय सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ अगलगी रोकथाम /न्यूनीकरण हेतु समन्वय।
- ✓ सरपंच के स्तर से अगलगी की रोकथाम करने हेतु पंचायत के सभी व्यक्तियों को आम नोटिस जारी करना।
- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारियों संबंधी पंचायत एवं नगर निकायों में हुए निर्णयों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।

- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारियों में राज्य सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान करना।

7.5 उर्जा विभाग

- ✓ ट्रांसफार्मर्स की लोड क्षमता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार वृद्धिकरण।
- ✓ विद्युत शार्ट सर्किट के मामलों के न्यूनीकरण एवं रोकथाम एवं हेतु जन–जागरूकता।
- ✓ बिजली संचरण में प्रयुक्त लूज तारों को ठीक करना ताकि उनकी रगड़ से अगलगी की स्थिति न उत्पन्न हो सके।
- ✓ बिजली के तारों एवं उपकरणों से लगने वाली अगलगी की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता।
- ✓ अवैध कनेक्शन, टोका आदि की रोकथाम ताकि उनके कारण होने वाली अगलगी की घटनाओं का न्यूनीकरण किया जा सके।

7.6 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

- ✓ मुख्य मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को अगलगी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक करना।
- ✓ स्कूली बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी एवं अन्य कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता फैलाना।

7.7 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

- ✓ अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों में 'आग से जलने पर क्या करें और क्या न करें' के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।
- ✓ अगलगी की बड़ी घटनाओं की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर डाक्टर एवं दवा सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था।
- ✓ सभी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु योजना का सूत्रण एवं अद्यतनीकरण, तैयारी, क्षमतावर्द्धन एवं रिस्पांस की व्यवस्था करना।
- ✓ अगलगी से प्रभावित व्यक्तियों की त्वरित चिकित्सीय सहायता।

7.8 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/पंचायती राज विभाग

- ✓ 'हर घर, नल जल' योजना के अंतर्गत आग बुझाने, विशेषकर वाटर टेण्डर को पानी उपलब्ध कराने, हेतु पानी के श्रोत का निर्माण।
- ✓ उपरोक्तानुसार निर्मित जल श्रोतों की सूची अग्निशमन सेवा के संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना।